इकाई– 4

विद्यालयीन विषय ज्ञान : चुनाव प्रक्रिया और उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 विद्यालयीन ज्ञान के कार्य

4.4 विद्यालयीन विषय ज्ञान का चुनाव

4.4.1 मानदंड

4.4.2 अभिकरण

4.5 ज्ञान चुनाव को वैध बनाना

4.5.1 सामाजिक –सांस्कृतिक आधार पर

4.5.2 राजनैतिक–आर्थिक आधार पर

4.6 विद्यालयीन ज्ञान के चुनाव का समस्याकरणः परिवर्तन और सातत्य को समझने हेतु तर्क

4.6.1 मैकाले मिनट्स–1835

4.6.2 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा– 1975, 1988, 2000, 2005

4.7 सारांश

4.8 चिंतन के लिए प्रश्न

4.9 प्रगति की जांच हेतु उत्तर

4.10 संदर्भ ग्रंथ और प्रस्तावित सूची

4.1 प्रस्तावना

एक छात्र के रूप में आपको यह आश्चर्य होना चाहिए कि विद्यालयों में ज्ञान का किस प्रकार चयन तथा संगठन किया जाता था? यह कौन करता है? एक निश्चित कक्षा में एक शिक्षक क्या पढ़ायेगा? क्या इसका निर्धारण करने में एक शिक्षक की स्वतंत्रता होती है? क्या कारण है कि कुछ प्रकरण कुछ निश्चित कक्षाओं में ही पढ़ायें जाते है दूसरी कक्षाओं में नहीं? वे कौन–कौन सी ऐजेन्सियॉ है जो कि विभिन्न कोर्सों को निर्धारित करती है? विद्यार्थियों ने कितना सीखा और मूल्यांकन की कौन–कौन सी क्रियाविधियॉ है? और इस हेतु कौन सी ऐजेन्सियॉ उत्तरदायी है? क्या मूल्यांकन क्रियाविधियॉ पूरे देश में एक समान है? उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर हेतु इस इकाई को लिखा गया है –

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप योग्य होंगे–

1. विद्यालयीन ज्ञान के अर्थ तथा संगठन व उसके कार्यो के वर्णन के लिए।
2. विद्यानयीन विषयी ज्ञान के चुनाव हेतु मानदंड तथा अभिकरण की व्याख्या करने के लिये।
3. सामाजिक–सांस्कृतिक तथा राजनैतिक–आर्थिक आधार पर ज्ञान के चुनाव को वैध करना।
4. ब्रिटिश काल (मैकाले मिनट्स 1935) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार ज्ञान के चुनाव का समस्या करण।

4.3 विद्यालयीन ज्ञान के कार्य

विद्यालयीन ज्ञान ऐसा हो जो शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव उपलब्ध करवाए जो उसमें क्रमशः विवेक की क्षमता बढ़ाते हुये उसके ज्ञान के आधार को पुष्ट करें और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाए, उन्हें काम करने और आर्थिक प्रक्रियाओं में भागीदारी करने दे।ज्ञान एवं समझ पाठ्यचर्या चुनावों और विषयवस्तु के प्रस्तावों के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि बनाते हैं और ज्ञान की कल्पना संगठित अनुभव के रूप में की जा सकती है, जो भाषा, विचार श्रंखला (या संकल्पना की संरचना) के माध्यम से अर्थबोध पैदा करती है, जिसके माध्यम से संसार को समझने में सफलता मिलती है।

समय के साथ, मनुष्य ने अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की नयी विधाऍ विकसित की है, जिसमें सोचने के ढंग, अनुभव तथा कार्य निष्पादन और अतिरिक्त ज्ञान निर्माण के आयाम शामिल है। विश्व में सही प्रकार से कार्य करने के लिए ज्ञान का पुनः सृजन आवश्यक है। ज्ञान सृजन की प्रक्रियाओं में भाग लेना, अर्थ ढूँढना और मानवीय कर्म में भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान की यह व्यापक कल्पना हमें उस दिशा में ले जाती है, जो ज्ञान का परीक्षण केवल 'परिणाम' के अर्थों में न करके सृजन की प्रक्रिया के नियमों के रूप में, व्यवस्थापन, उपलब्धता एवं उपयोग के अर्थों में भी करता है।

विद्यालयों में ज्ञान का संगठन एक सतत प्रक्रिया है। जैसे–जैसे ज्ञान का विस्तार होता है वेसे–वैसे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को विद्यालयों में प्रदान किया जाता है, ताकि यह ज्ञान आम आदमी के लिए परिचित हो जायें। एक बच्चे के उसका वातावरण अनौपचारिक रूप से बहुत सी बातें सिखाता है जिसे उसके माता–पिता स्कूल के माध्यम से

औपचारिक रूप से सिखाना चाहते हैं। प्रौद्योगिकी का विकास लगातार अधिक से अधिक तथ्यों, अवधारणाओं, सूचनाओं तथा प्रत्ययों को एक आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचा रहा है। इसीलिए ऐसे अभिकरणों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि समय–समय पर ज्ञान की समीक्षा की जाये जो कि स्कूलों को वितरित किया जा रहा है तथा इसी के सुधार के लिए नये विकासों को उपयोग में लायें।

- प्रासंगिकता :– यह काफी व्यवहारिक चुनावों की ओर ले जा सकती है, जिसके अक्सर यह गलत फहमी रहती है कि बाद के व्यवस्क जीवन में क्या उपयोगी है। यदि चुनाव व्यवहारिक न हो तो बच्चों के वर्तमान के ज्ञान निर्माण में बिल्कुल सहायक नहीं होता, इसीलिए किसी भी तरह वह ज्ञान उसके भविष्य निर्माण के काम नहीं आता।
- अभिरूचिः– एक उपयोगी तरीका है, लेकिन यह इस सरलीकरण पर आधारित नहीं होना चाहिए कि बच्चे को किस चीज में आनंद आता है – जैसे कि कार्टून और खेलकूद। प्रयास यह रहे कि बच्चे की रूचि जाग्रत हो और वह उत्साह से काम करें।
- सार्थकता :– अगर बच्चा उस गतिविधि या ज्ञान को उपयोगी समझता है तो विद्यालयीन ज्ञान में उसे शामिल करने के प्रासंगिक ठहराया जा सकता है।

आधुनिक युग मे प्रगति के साथ साथ विद्यालीन कार्य तथा ऊतरदायित्वों मे परिवर्तन हुआ है ये कार्य निम्नलिखित हैंऋ

1. सरंक्षण का कार्य: सांस्कृतिक आदर्शों तथा परम्पराओ को संरक्षित करने का विद्यालीन ज्ञान का मुख्य कार्य है ।
2. प्रगतिशील कार्य :विदयालीन ज्ञान सदैवआगे की ओर देखने वाला अथवा दूरदृष्टि वाला एवम समाज को प्रगति की राह पर ले जाने वाला होना चाहिए। इसलिये सामाजिक संरचना तथा आदर्शो मे परिवर्तन लाने के लिये नई परिस्थितियो के अनुसार नए कार्यक्रमों को अपनाना चाहिये ताकि समाज प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके ।
3. उदासीन कार्य :कुछ लोगों के अनुसार विद्यालीन ज्ञान को सामाजिक मुद्दों से ऊपर जीवन मूल्यों एआदर्शो एतथा सत्य की शिक्षा देने वाला होना चाहिये।
4. बौद्धिक प्रशिक्षण हेतु
5. चरित्र निर्माण एवम प्रशिक्षण हेतु
6. सामुदायिक जीवन मे प्रशिक्षण के लिये
7. राष्ट्रीय गर्व एवम देशभक्ति मे प्रशिक्षण के लिये
8. स्वास्थ्य एवम स्वक्छता के प्रशिक्षण हेतु विद्यालीन ज्ञान आवश्यक है ।
   विद्यालीन ज्ञान के कार्यो को दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है -

अ) विद्यालीन ज्ञान के कार्य जो कि व्यक्तिक विकास के लिये आवयशक है :

- शारीरिक विकास
- बौद्धिक विकास
- संवेगात्मक विकास

- चारित्रिक विकास
- सांस्कृतिक तथा सौंदर्यानुभूति विकास
- व्यवसायिक विकास

ब) सामाजिक विकास से संबन्धित कार्य

- आदर्श नागरिकों का निर्माण
- सामाजिक संस्कृति का हस्तांतरण एवम संरक्षण का कार्य
- असत्य विश्वास एवम सामाजिक बुराइयों को दूर करने का कार्य
- कुशल नेत्रत्व निर्माण हेतु कार्य

प्रगति की जांच :– टिप्पणी –1.नीचे दिये गये रिक्त स्थान में उत्तर लिखें।

2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तरों की जांच करें।

प्र01 विद्यालयीन ज्ञान किसे कहते है? विद्यालयीन ज्ञान के कार्य बताइयें।

.....

.....

.....

.....

4.4 विद्यालयीन ज्ञान का चुनाव

समाज एवं शिक्षार्थी के जीवन में विद्यालयी जीवन का प्रमुख स्थान होने के कारण छात्रों को विद्यालय जाने के लिए औचित्य प्रदान करता है। विद्यालयी शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक बड़ा निवेश है तथा इसे एक अनिवार्य गतिविधि के रूप में माना जाता है। स्कूली शिक्षा के द्वारा इस महान भूमिका में कोई संदेह नहीं है कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य के रूप में सार्वभौमिक मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लिए यही प्रेरणा स्रोत है।

स्कूली ज्ञान आमतौर पर स्कूल केलेंडर के दौरान विशिष्ट चरणों/अवस्थाओं में विषयवस्तु के साथ औपचारिक पाठ्यक्रम के दौरान फैलता है। आमतोर पर यह मान लिया जाता है कि औपचारिक पाठ्यक्रम भी विषय सामग्री के द्वारा शिक्षार्थी ज्ञान ग्रहण करता है तथा जो रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित होता है। शिक्षा को औपचारिक रूप देने के लिए यही तर्क दिया जाता है कि स्कूलिंग को ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है तथा ज्ञान का एक संग्रह से अवगत कराने की भी आवश्यकता से संबंधित है।

4.4.1 विद्यालयीन विषय ज्ञान का चुनाव कसौटी/ मानदंड

ज्ञान की सीमाओं का काफी विस्तार हुआ है इसीलिए यह आवश्यक है कि विद्यालयीन ज्ञान में क्या शामिल हो इसका चुनाव किया जाए। विद्यालय विषयक ज्ञान का चयन शैक्षिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है जो कि सार्वभौमिकता तथा संस्कृति की विशिष्टता से संबंधित है। जब ज्ञान का चुनाव किया जाता है ताकि अधिगम समुदाय की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है तथा विद्यमान पाठ्यक्रम को भी मूल्यांकित किया जाता है।

1. **समग्रता :–** ज्ञान का चुनाव उस समस्त या समग्र अनुभवों पर निर्भर होना चाहिए जो कि एक बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व में सहायक होते है। अधिकांशतः यह भी देखा जाता है कि विद्यालय तंत्र में चल रहे पाठ्यक्रम केवल अकादमिक पक्ष को मजबूत करती है। तथा न कि मानव के मनोवैज्ञानिक कार्य को पूर्णता के साथ।

2. **विभिन्नता तथा लचीलापन** :– विषयी ज्ञान श्रेणियों को जीवन और काम के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग व्यक्तियों के बीच प्रतिभा विकसित करने की जरूरत है। उदहारण के लिए बुद्धि की धारणा एक बहुआयामी धारणा है जो कि आठ प्रकार की बुद्धियाँ – तार्किक, गणितीय, भाषाई, स्थानीय, शारीरिक, मनोस्थिति, संगीत, लयबद्ध, पारस्परिक (अंत संबंधित), अंतरा–संबंधित तथा प्राकृतिक बुद्धियों से निर्मित है। इसीलिए शिक्षार्थीयों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रावधान है तथा इसी बात को ध्यान में रखते हुये शिक्षक को विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है।

3. **सामुदायिक केन्द्रिताः**– एक प्रभावी स्कूली ज्ञान समुदाय केन्द्रित है। यह समुदाय की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित है। उदाहरण के लिए भारत के संदर्भ में समावेशी शिक्षा (जाति, लिंग, शारीरिक, विकलांगता आदि पर ध्यान दिये बिना सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना) की आवश्यकता है। ज्ञान श्रेणियों का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि वे समुदाय का विकास कर सकें। चयन समुदाय के संसाधनों पर निर्भर करता है। सामुदायिक संसाधनों भौतिक और मानव संसाधनों का सर्वेक्षण इस प्रकार किया जाये कि समुदाय के विकास में अधिकतम उपयोग किया जा सकें।

4. **अवकाश** :– एक प्रभावी स्कूली विषयी ज्ञान अवकाश के समुचित उपयोग के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) की रिपोर्ट में कहा गया है कि विद्यालयीन विषयी ज्ञान न केवल काम के लिए बल्कि अवकाश के लिए भी छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। ज्ञान की श्रेणियॉ न केवल कठोर मानसिक काम प्रदान करने के लिए होनी चाहिए बल्कि शारीरिक, सौंदर्य और आध्यात्मिक विकास के लिए भी होनी चाहिए। अवकाश के समय का उपयोग गायन, नृत्य, चित्रकलां, योग आदि कार्यों में करने से व्यक्तित्व विकास में मदद मिलती है।

5. **सहसंबंध** :– एक प्रभावी विद्यालयीन विषयी ज्ञान के विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रभावी सहसंबंध सुनिश्चित करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) की रिपोर्ट में कहा गया है कि विषयों को अंतर्सम्बंधित होना चाहिए और प्रत्येक विषय सामग्री को जानकारी के संकीर्ण पदों के बजाय उन्हें व्यापक क्षेत्रों के साथ सह–संबंधित किया जाना चाहिए। एक आदर्श विषयी ज्ञान विषयों को वॉटर टाइट कम्पार्टमेंट की तरह नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। वास्तव में, एक सच्चा शिक्षक अपने विषय को दूसरे विषयों के साथ सहसंबंधित करता है।

6. **गतिविधिः–** सीखना तभी सर्वोत्तम है जब उसे गतिविधि के माध्यम से किया जाता है। विषयों को पढ़ाने के लिए 'क्रिया के द्वारा सीखना' नारे को उपयोग में लाया जाता है। गतिविधि वास्तविक सीख देती है। इसीलिए ज्ञान श्रेणियों को विभिन्न प्रोजेक्ट कार्य, टीम कार्य, खेल तथा हस्तकला संबंधित कार्यों में

विभाजित किया जाता है? ताकि बच्चे की स्वाभाविक इच्छाओं को पूरा किया जा सकें। गतिविधियॉ निम्न कक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। गतिविधि केन्द्रित ज्ञान विद्यालयों को कार्य का स्थान, प्राचीन और खोज की जगह बनाता है।

7. **उपयोगिता :–** प्रभावी विद्यालयीन विषयी ज्ञान उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। एक शिक्षार्थी के लिए ज्ञान उपयोगिता का होना चाहिए ताकि शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत शिक्षण सामग्री का उपयोग अपनी जीवन स्थिति को बेहतर कर सकें। इस प्रकार के ज्ञान के प्रकार में जीवन कौशल ज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि शामिल है।

8. **लचीलापन :–** प्रभावी विद्यालयीन विषयी ज्ञान को व्यक्तिगत शिक्षर्थियों और उनके समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थानीय परिस्थितियों (उदाहरण के लिए मौसम आदि) का ख्याल रखना चाहिए। यह विश्व की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। एक शैक्षणिक सत्र के दौरान, सीखने संबंधी ज्ञान श्रेणियों के चयन में शिक्षक को स्थान देना चाहिए।

9. **खेलः–** खेल विधि एक प्रभावी रणनीति है जो कि बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्य और खेल को शिक्षा के क्षेत्र में मारिया मॉटेसरी द्वारा सुझाव दिया गया था। फ्रोवेल ने खेल को शिक्षा का आधार बनाया है। उनके अनुसार खेल की भावना से कार्य को किया जाना चाहिए। खेल एक व्यक्ति को स्वयं को प्रकट करने का मौका देता है। खेल से सहयोग, सहनशीलता, आत्मनिर्भरता, अनुभव, विचारों और कार्य की स्वतंत्रता जैसे आदि गुणों का विकास होता है। इसीलिए खेल को पाठ्यक्रम में स्थान देने की आवश्यकता है।

10. **संरक्षणः–** प्रत्येक समाज भविष्य की पीढ़ी के लिए अपनी संस्कृति के संरक्षण और प्रसारण का प्रयास करता है। एक शिक्षा प्रणाली कुशलता से इस भूमिका का निर्वहन करती है।

11. **लोकतांत्रिक मूल्य** :– जॉन डिवी, एक प्रमुख शिक्षाविद ने शिक्षा के क्षेत्र में लोकतंत्र को अधिक महत्व बताया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोंण आधुनिक शिक्षा प्रणाली की अनिवार्य शर्त है। एक विद्यालयीन विषयी ज्ञान का निर्माण लोकतांत्रिक विचारों के आधार पर किया जाना चाहिए।

12. **समानताः**– समानता न केवल उपयोग में बल्कि सफलता के लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में सभी विद्यालयीन पाठ्यक्रम विकास ऐजेंसियों के लिए एक कोर पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था।

4.4.2 विद्यालयीन विषयी ज्ञान के चयन हेतु एजेंसियॉ

राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश में एक शिक्षा का एक विभाग है। भारत जैसे बड़े देशों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जो कि स्कूल शिक्षा विभाग और साक्षरता तथा उच्च शिक्षा विभाग से मिलकर बना होता है।) के अतिरिक्त संघ के प्रत्येक राज्य का एक शिक्षा विभाग है। इसके अलावा भारत में, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में भी रखा गया है। अंतराष्ट्रीय स्तर पर, अंतराष्ट्रीय स्तर संगठन (1बी.ओ. 12 जनवरी 2012) में 3318 स्कूलों 140 से अधिक देशों में फैला हुआ है।

भारत में आई.बी.ओ. के 86 स्कूल है जिसमें 33 आई.बी. प्राथमिक वर्ष कार्यक्रम, 8 माध्यमिक वर्ष कार्यक्रम तथा 77 आई.बी. डिप्लोमा कार्यक्रम सम्मिलित है। भारत में केवल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही विद्यालयों में ज्ञान के संगठन हेतु जिम्मेदार है। यह उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति बनाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के तहत एन.सी.ई. आर.टी. एक स्वायत्त संगठन तथा राष्ट्रीय स्तर का अभिकरण है जो विद्यालयों में ज्ञान के संगठन तथा चुनाव का निर्धारण करता है। एन.सी.ई. आर.टी. समय–समय पर नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा का निर्माण करती है। राज्य स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी. (शैक्षिक अनुसंधन और प्रशिक्षण की राज्य परिषद) राज्य स्तर के पाठ्यक्रम को विकसित करती है एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा को अपनाती है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान आँगनवाड़ी में ज्ञान के संगठन के लिए दिशा निर्देश देता है, जो एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के तहत शिशुओं की देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है।

देश में तीन राष्ट्रीय स्तर के निकाय हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम अध्ययन तैयार कर रहे हैं ये हैं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (सी.आई.एस.ई.) तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एन.आई.ओ.एस.)। राज्य स्तर पर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एक्जामिनेशन है जो कि कक्षा 10 वीं तथा कक्षा 12 वीं. की परीक्षायें राज्यों में संचालित करते हैं।

विभिन्न परीक्षा निकायों की सूची नीचे दी गई है जो कि स्कूल स्तर पर विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं का संचालन करते है।

आंध्र प्रदेश	1. इंटरमीडिएट शिक्षा, हैदराबाद के निदेशक मंडला
	2. माध्यमिक शिक्षा, हैदराबाद के निदेशक मंडला
टसम	1. असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, गुवाहाटी
	2. माध्यमिक शिक्षा असम के बोर्ड, गुवाहाटी
	3. असम संस्कृत बोर्ड, गुवाहाटी
थ्बहार	1. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना
	2. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना
छत्तीसगढ़	1. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रायपुरा
	2. छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड, रायपुरा
	3. छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड, रायपुरा
	4. छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुरा
गेवा	1. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक गोवा बोर्ड शिक्षा
ग्जरात	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा बोर्ड, गांधीनगर
हरियाणा	हरियाणा स्कूल शिक्षा, भिवानी हरियाणा बोर्ड
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला
जम्मू एवं कश्मीर	स्कूल के जम्मू–कश्मीर राज्य बोर्ड शिक्षा, जम्मू (नबंबर अप्रैल) श्रीनगर (मई–अक्टुबर)
क्र्नाटक	1. कर्नाटक सरकार, पूर्व विश्वविद्यालय के विभाग शिक्षा, बैंगलोर
	2. कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड, बैंगलोर
केरल	1. केरल लोक परीक्षा मंडल, तिरूवनंतपुरम

	2. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केरल,तिरूवनंतपुरम
मध्यप्रदेश	1. माध्यमिक शिक्षा, मध्य मंडल प्रदेश, भोपाल
	2. सांसद स्टेट ओपन स्कूल, माध्यमिक मंडल शिक्षा कैंपस,भोपाल
	3. महर्षि संस्कृत संस्थान, भोपाल
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर मंडल माध्यमिक शिक्षा, पुणे
मणिपुर	1. शिक्षा बोर्ड, मणिपुर, इम्फाल
	2. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, इम्फाल की परिषद स्कूल शिक्षा, तुरा मेघालय, मेघालय बोर्ड
थ्मजोरम	1. स्कूल शिक्षा, आइजोल की मिजोरम, मिजोरम बोर्ड
नगालैंड	स्कूल शिक्षा, कोहिमा नागालैंड बोर्ड
ओडिशा	1. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर
	2. माध्यमिक शिक्षा, कटक के बोर्ड
प्ंजाब	पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली
श्राजस्थान	1. माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मंडला
	2. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
तमिलनाडु	स्कूल परीक्षाएं तमिलनाडु राज्य बोर्ड और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा मंडल, चैन्नई
त्रिपुरा	माध्यमिक शिक्षा, अगरतला त्रिपुरा बोर्ड।
उत्तर प्रदेश	1. यूपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड शिक्षा, इलाहाबाद
	2. यूपी माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् लखनऊ स्कूल शिक्षा, नैनीताल उत्तराखंड बोर्ड
पश्चिम बंगाल	1. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कोलकाता।
	2. पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक की परिषद शिक्षा, कोलकाता
	3. प्राथमिक शिक्षा की पश्चिम बंगाल बोर्ड, कोलकाता
	4. मदरसा शिक्षा बोर्ड पश्चिम बंगाल, कोलकाता
	5. रवींद्र मुक्त विद्यालय, (पश्चिम बंगाल राज्य ओपन स्कूल), कोलकाता
नोटः–	**सूची में स्वतंत्र बोर्ड स्टेट्स को शामिल नहीं किया गया है।**

प्रगति की जांच :– टिप्पणी –1.नीचे दिये गये रिक्त स्थान में उत्तर लिखें।

2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तरों की जांच करें।

प्र01 विद्यालयीन ज्ञान` चुनाव हेतु कौन–कौन से मानदंड है ? वर्णन कीजिए ?

.....

.....

.....

.....

प्र02 विद्यालयीन विषयी ज्ञान के चुनाव हेतु देश में कौन –कौन सी ऐजेंसियाँ है ? विस्तार से समझाये।

.....

.....

.....

4.5 ज्ञान चुनाव को वैध बनाना

समय के साथ ज्ञान की धारणा मे परिवर्तन आया है और यह परिवर्तन बताता है कि ज्ञान कैसे निर्मित किया जाता है वितरित किया जाता है ६ तथा प्रयोग किया जाता है ६ इस बात कि भी पुष्टि कि जाती है कि ज्ञान और शक्ति के बीच बहुत ही अंतरंग सम्बन्ध है इस सम्बन्ध की बेहतर समझ ज्ञान के राजनैतिक सिद्धांत को तैयार करने तथा उत्पादन के लिये महत्वपूर्ण है वैधता प्रदान करने का कार्य तर्कसंगत है यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक अधिनियम एव प्रक्रिया या विचारधारा को वैध बनाया जाता है यह एक सामाजिक सेटिंग(संरचना) मे मानदंडों और मूल्यों के प्रति लगाव से संबन्धित है यह एक समूह या दर्शकों के प्रति स्वीकार्य या प्रामाणिक बनाने की प्रक्रिया है

4.5.1 सामाजिक –सांस्कृतिक आधार / बलों पर

बच्चे का समुदाय और उसका स्थानीय वातावरण अधिगम प्राप्ति के लिए प्राथमिक संदर्भ होता है जिसमें ज्ञान अपना महत्व अर्जित करता है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके ही बच्चा ज्ञान सृजित करता है और जीवन में सार्थकता पाता है। स्कूल एवं बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण और स्कूल के बीच की सीमा रेखा को सरन्ध्र बनाने पर भी ज़ोर दे रहे हैं। यह केवल इसलिए नहीं कि अपने परिवेश में बच्चों का अपना अनुभव ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश का बेहतर माध्यम होता है बल्कि इसीलिए भी कि ज्ञान का मतलब ही दुनिया से जुड़ना है। यह केवल साधन नहीं है, बल्कि साधन और साध्य दोनों है।शिक्षार्थी जब तक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को पाठय्पुस्तक में निरूपित सदंभा ँक ेसबंध म ेंस्थित नही ंकर पाते और इस ज्ञान को समाज के अपने अनुभवों से जोड़ नहीं पाते, तब तक ज्ञान मात्र सूचना के ही स्तर पर रहता है।

स्थानीय परिवेश केवल भौतिक–प्राकृतिक नहीं होता, बल्कि सामाजिक–सांस्कृतिक भी होता है। हर बच्चे की घर में अपनी आवाज़ होती है। स्कूल के लिए आवश्यक है कि कक्षा में भी वह आवाज. सुनी जाए। समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी प्रचुर होता है, लोककथाएँ, लोकगीत, चुटकुले, कलाएँ आदि जो स्कूल में भाषा और ज्ञान को समृद्ध बना सकते हैं। इससे मौखिक इतिहास भी समृद्ध होगा।यह ज़रूरी है कि सामाजिक–सांस्कृतिक संसार के अनुभवों को भी पाठय्क्रम का हिस्सा बनाया जाए।ज्ञान के सृजन एवं पुनः सृजन के लिए अनुभव के आधार, भाषायी क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसार और दूसरे लोगों के साथ अंतःक्रिया की ज़रूरत होती है । स्कूल में पहली बार प्रवेश करते समय बच्चा संसार के ज्ञान का सृजन शुरू कर चुका होता है। हर चीज जो बच्चे बाद में सीखते हैं वह उस ज्ञान से संबंधित होता है जो वह स्कूल में लेकर आते हैं। यह ज्ञान भी अंतःप्रज्ञात्मक होता है। स्कूल अवसर देता है कि इसी ज्ञान को आधार मान कर, सचेत रह कर और जुड़ाव के साथ आगे बढ़ा जाए। सीखने के शुरुआती स्तर पर, स्कूल–पूर्व से प्राथमिक स्कूली वर्षो में पाठय्चर्या की सभी गतिविधियों में भाषा और गणित को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। विषयों में विभाजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है और सभी ज्ञान क्षेत्रों को समेकित किया जा सकता है और बच्चों के सामने परिवेश के शैक्षिक अनुभवों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है । इसमें प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के साथ गहन अंतःक्रिया, सामजिक अंतःक्रियाओं की समझ, अपने हाथ से काम करना और अपने सौन्दर्य बोध की क्षमताओं का विकास शामिल है।

4.5.2 राजनैतिक–आर्थिक आधार/ बलों पर

आर्थिक विचार ज्ञान चुनाव की व्यावहारिकता से सम्बन्ध रखते हैं किसी भी ज्ञान संगठन तथा उसके चुनाव के लिए एवं उसके क्रियान्वयन के लिए भौतिक सुविधाए ,शिक्षण सामग्री का विकास तथा प्रशिक्षित अध्यापको की भर्ती के प्रावधान सहित अनेक कार्यवाइयो की आव्यश्यक्ता होती है इन सब प्रावधानों पर आवर्ती व्यय होता है यह व्यय सरकार एवं समुदाय व अन्य संस्थानों द्वारा वहन किया जाता है राजनैतिक संस्थायों द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों वित्तीय संसाधनों को जुटाने के बाद भी समुदाय को शिक्षा सम्बन्धी व्यय जुटाने पड़ते हैं समाज के लोग ही अपने बच्चों स्कूल भेजेंगे यदि समाज की आर्थिक स्थिति की इतनी अच्छी नहीं है कि वह शिक्षा की लागत का वहन कर सके तो वह समाज अपने सदस्यों की सेवा करने की स्थिति मे नहीं होगा

सरकार शिक्षा सम्बन्धी नीति बनाती है प्प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण संवैधानिक तथा संविधी कानूनों पर आधारित है उदाहरण के लिए हमारे देश में अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत राज्य नीति के निदेशक तत्व सरकार को सब के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश देते है अतः सरकार को सबके लिए सारभौमिक प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है जिसमे भौतिक सुविधायों तथा अध्यापकों के नियोजन के प्रावधान शामिल है इसी प्रकार १९६८ तथा १९८६ में संसद के अधिनियमों के माध्यम से सरकार ने कुछ नई शिक्षा नीतियाँ मंजूर की जिनमे व्यावसायिक शिक्षा ,नैतिक शिक्षा और १० वी कक्षा तक विस्तारित सामान्य शिक्षा के घटक शामिल थे

प्रगति की जांच :– टिप्पणी –1.नीचे दिये गये रिक्त स्थान में उत्तर लिखें।

2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तरों की जांच करें।

प्र01 ज्ञान चुनाव को वैध बनाने हेतु सामाजिक– सांस्कृतिक तथा राजनैतिक –आर्थिक बलों का वर्णन कीजियें ?

.....

.....

.....

.....

4.6 विद्यालयीन ज्ञान के चुनाव का समस्याकरणः परिवर्तन और सातत्य को समझने हेतु तर्क

4.6.1 मैकाले मिनट्स–1835

लार्ड मैकाले एक ब्रिटिश इतिहासकार, निबंधकार व वक्ता थें। वे ब्रिटिश सरकार में भारतीय मामलों के नियंत्रण मंडल के आयुक्त थे। सन् 1834 में गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक सदस्य के रूप में भारत में प्रतिनियुक्त किया गया था तथा बाद में जनता के निर्देश पर सामान्य समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। जब भारत में प्राच्य–पाश्चात्य विवाद अपने चरम पर था तब मैकाले भारत पहुंचा।

मैकाले (1835) ने यह तर्क दिया कि भारत के विकास के लिए संस्कृत और अरबी के आधार पर शिक्षा उपलब्ध कराने का कोई काम नहीं है और अंग्रेजी साहित्य पर आधारित शिक्षा के लिए बहस की। यह मिनट इस विचार पर आधारित है कि अंग्रेजी शिक्षा केवल विज्ञान में ही बेहतर ही नहीं है बल्कि यह बेहतर नैतिकता को विकसित करने में भी सहायक है, तथा सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उत्तरदायी है। मिनट्स एक प्रारंभिक अग्रदूत के रूप में संस्थाओं के विकास के लिए एक मुख्य भूमिका के रूप में साबित हुआ।

विलियम बेन्टिक, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने मैकाले के सलाह पर चार्टर एक्ट सन् 1813 के सामान्य खंड 43 के निहितार्थ पर सलाह दी और उसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। लार्ड मैकाले की राय थी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा स्वाद और राय मे अंग्रेजी और रक्त एवं रंग में भारतीय होगी। इस मिनट के द्वारा यह उम्मीद की गई थी कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी नैतिकता सीखना होगा तथा ऐसे ही प्रशिक्षित भारतीय भारत में ब्रिटिश राज के मजबूत स्तंभ बन पाऐंगे। यह सिद्धांत निष्यंदन का सिद्धांत है।

मैकाले द्वारा अपने मिनट्स पर निम्नलिखित टिप्पणियॉ दी गई थी –

1. विशेष रूप से अंग्रेजी उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए क्योंकि यह विचारों और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा माध्यम है।

2. प्राच्य कानून संस्थाओं एवं अरबी में सभी कानून की किताबों को बंद कर दिया जाना चाहिए। फारसी एवं संस्कृत को अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए।

3. प्राच्य सीखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का इस्तेमाल/उपयोग होना चाहिए।

4. प्राच्य संस्था को दिये गये अनुदान को रोक देना चहिए तथा इस अनुदान को नये अंग्रेजी स्कूल के उद्घाटन में उपयोग में लाया जाना चाहिए।

5. सभी दिये गये अनुदानों का उपयोग यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रसार के लिए किया जाना चाहिए।

6. शिक्षा का उद्देश्य इस तरह के व्यक्तित्व तैयार करना है जो रक्त एवं रंग में भारतीय हो लेकिन स्वाद में अंग्रेजी तथा विचारों में नैतिक तथा बौद्धिक हों।

मैकाले का शिक्षा जगत के बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैकाले ने कई दशकों से चल रहे प्राच्य–पाश्चात्य विवाद को खत्म करने की कोशिश की। मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी। इन्होंने भारत में विज्ञान, पश्चिमी साहित्य तथा मूल्यों के प्रसार में योगदान दिया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीयों को नवीनतम विकास के साथ परिचित होने का अवसर मिला इसके परिणाम स्वरूप उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा मिली।

मैकाले मिनट्स ने शिक्षा की एक सीधी नीति तथा शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों को बताया। अधिक अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना के लिए नेतृत्व किया। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। छानने को सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया। मैकाले मिनट्स के कुछ अवगुण भी थे जैसे कि संस्कृत पाठशाला और अरबी मदरसों को बंद कर दिया गया। इसनें स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा की तथा इसने भारतीय संस्कृति तथा धर्म का विरोध किया तथा जन शिक्षा का त्याग किया।

4.6.2 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा– 1975, 1988, 2000, 2005

पाठ्यक्रम विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसका विकास राष्ट्रीय लक्ष्यों, सामाजिक आकांक्षाओं तथा अनुशासनात्मकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद करीब छः दशक पहले, विद्यालयीन शिक्षा के पाठ्यक्रम को विकसित करने हेतु बहुत प्रयास किये।

ये प्रयास माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) और शिक्षा आयोग (1964–66) में संबंधित व्यक्त शिक्षा में से संबंधित से राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित थे। इन आयोगों की शिकायतों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) का गठन किया गया। एन.पी.ई. ने देशभर में कॉमन स्कूल संरचना (10+2) स्कूली शिक्षा प्रणाली) को लागू करने की सिफारिश की। यह भी कल्पना की गई कि शिक्षा लोगों के जीवन से संबंधित हो। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और विस्तार के लिए शिक्षा के अवसर समान रूप से प्रदान किये जाये तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देना तथा नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को विकसित करना। इन सिफारिशों को पहली बार दस वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम (द करीकुलम फॉर टेन ईयर स्कूल–फ्रेमवर्क) में शामिल किया गया जो कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) द्वारा सन् 1978 में विकसित किया गया।

एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जिसके तहत शिक्षा राज्य का विषय है, इसे समवर्ती सूची में रखा गया था तथा यह समवर्तीता (कॉनकरेंशी) राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच एक सार्थक तथा चुनौतीपूर्ण साझेदारी को दर्शाती है। इस संशोधन के अनुसार राज्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को बरकरार रखा गया हालांकि शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत चरित्र एवं राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, गुणवत्ता और मानकों को बनाये रखने के लिए तथा शिक्षा पिरामिड के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की संघ सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी रही है।

बदलती हुई परिस्थितियों में, सन् 1986 में पहली बार देश में एक संपूर्ण रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) बनाई गई। एन.पी.ई– 1986 ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा पर आधारित शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की परिकल्पना की। इस हेतु एन.पी.ई.–1986 को शिक्षा के पुनर्गठन के रूप में भी जाना जाता है। इसी पृष्ठभूमि में द्वितीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा एक रूपरेखा (1988) को निर्मित किया गया। इस रूपरेखा ने योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन के बदलाव का सुझाव दिया। ये सभी प्रयास स्कूल के सभी स्तरों में सीखने के न्यूनतम स्तर को परिभाषित करने के लिए किये गये थे।

स्कूली शिक्षा के लिए तीसरी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा (2000) के गुणवत्ता की शिक्षा और अवसर लिए उपयोग की समानता, राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाने और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, वैश्वीकरण के प्रभाव के प्रति प्रतिक्रिया और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की चुनौती, जीवन कौशल के साथ शिक्षा को जोड़ने, पाठ्यक्रम बोझ को कम करना तथा मूल्य विकास के लिए चिंताओं को संबोधित किया गया। आजीवन प्रक्रिया के रूप में शिक्षा को देखा गया। समझ, सोच और समावेशन की प्रक्रिया के लिए बदलाव की परिकल्पना की गई। एन.सी.एफ. 2005 ने निदान एवं उपचार का उपयोग करके कमजोर छात्रों और प्रतिभावान छात्रों के लिए संवर्धन कार्यक्रम द्वारा सीखने के दृष्टिकोण पर बल दिया।

पाठ्यचर्चा रूपरेखा के विकास मे एन.सी.एफ.–2005 एक मील का पत्थर है जो कि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है –

1. ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना।

2. पढ़ाई रटन्त प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना।

3. पाठ्यचर्चा का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों का चहुँमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाये बजाय इससे कि वह पाठ्यपुस्तक केन्द्रित बन कर रह जाये।

4. परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।

5. एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताए समाहित हो।

उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धांतो पर आधारित एन.सी.एफ. 2005 में निम्नलिखित पाठ्यक्रम क्षेत्रों का वर्णन किया है –

1. भाषा :–

- भाषा कौशल– बोलना, सुनना, पढ़ना और लेखन कौशल जो विद्यालयी विषयों तथा अनुशासनों से परे हों। ज्ञान की रचना हेतु इन कौशलों की भूमिका होती है। अतः प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक इन कौशलों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता होनी चाहिए।
- नये सिरे से त्रिभाषा सूत्र को प्रयोग में लाने के प्रयाय किया जाना चाहिए कि बच्चे की घर की भाषा या मातृभाषा को निर्देश के रूप में अपनाया जाये। इनमें आदिवासी भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया है।
- अन्य भारतीय भाषाओं के साथ–साथ अंग्रेजी को भी अपना स्थान खोजने की जरूरत है।
- भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को विद्यालयीन जीवन के संवर्धन के लिए एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

2. गणितः–

- गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य औपचारिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा तार्किक सोचने की क्षमता सूत्रित करने तथा अमूर्तता को संभालने की क्षमता आदि होना चाहिए। (मेथेमेटाइजेशन)
- गणित शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को सोचने और तर्क करने की क्षमता को बढ़ाये, जो अमूर्तता को कल्पित कर सकें तथा उसे संभालने योग्य बनाये तथा समस्याओं को सूत्रित तथा उसका समाधान कर सकें। गणित की गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच पर सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार है।

3. विज्ञानः–

- विज्ञान शिक्षण की विषय वस्तु, प्रक्रिया तथा भाषा शिक्षार्थी की उम्र सीमा तथा संज्ञानात्मक पहुच के अनुरूप होना चाहिए।
- विज्ञान शिक्षण प्राप्त करने में शिक्षार्थी को उन विधियों तथा प्रक्रियाओं से संलग्न करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण से संबंधित उनकी जिज्ञासा तथा रचनात्मकता को पोषण हो सकें।
- विज्ञान शिक्षण को विद्यार्थियों के पर्यावरण संबंधित व्यापक संदर्भ में रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें आवश्यक ज्ञान तथा कौशलों के साथ कार्य की दुनिया में प्रवेश कराया जा सकें।
- संपूर्ण विद्यालयीन पाठ्यक्रम में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता व्याप्त होना चाहिए।

4. सामाजिक विज्ञान :–

- सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु की अवधारणा/समझ की तरफ ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि तथ्यों को परीक्षा हेतु याद किया जाये। सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चों में सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता तथा प्रतिबिम्बित करने की योग्यता विकसित करें।
- लिंग, न्याय, मानव अधिकार तथा हाशिए पर रखे गये समुहों की प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान विषय को अंतः विषय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- नागरिक शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए। छात्रों को अतीत की अवधारणाओं तथा नागरिक पहचान को बनायें रखने हेतु इतिहास के महत्व को एक आकार के रूप में होना चाहिए।

5. कार्य :–

- पूर्व प्राथमिक स्तर से माध्यमिक शिक्षा स्तर तक संभावित ज्ञानार्जन विकासशील मूल्यों और कई कौशलों को विद्यालयीन पाठ्यक्रम में पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

6. कलाः–

- स्कूल के पाठ्यक्रम में कला और विरासत शिल्प को अभिन्न घटक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। माता–पिता, स्कूल के अधिकारियों और प्रशासकों के बीच व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और सौंदर्य अनुभूति आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता निर्मित किया जाना चाहिए।
- स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर एक कला का एक विषय सम्मिलित किया जाना चाहिए।

7. शांतिः–

- विद्यालयी अवधि के सभी विषयों में शांति उन्मुख मूल्यों को संबंधित क्रियाकलापों की सहायता से पदोन्नत किया जाना चाहिए।
- शांति शिक्षा को शिक्षक शिक्षा में एक आवश्यक घटक के रूप में होना चाहिए।

8. स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षाः–

- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सफलतापूर्वक विभिन्न मुद्दे जैसे नामांकन, धारण तथा स्कूल पूर्णता को संभाला जा सकता है।

9. आवास और अधिगम :–

- पर्यावरण शिक्षा के सभी स्तरों पर पर्यावरणीय मुद्दों तथा चिंताओं को विभिन्न विषयों के शिक्षण में सम्मिलित करते हुए विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सुचालित की जा सकती हैं।

प्रगति की जांच :– टिप्पणी –1.नीचे दिये गये रिक्त स्थान में उत्तर लिखें।

2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तरों की जांच करें।

प्र01 विद्यालयीन ज्ञान चुनाव के समस्याकरण में परिवर्तन और सातत्य को समझने हेतु निम्नलिखित कालों में हुऐ वाद विवाद को समझाइये –

अ. मैकाले मिनट्स (1835)

ब. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा (1975 – 2005)

.....

.....

.....

.....

4.7 सारांश

भारत में हमने परंपरागत रूप से पाठ्य चर्चा निर्धारण में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाया है, जो केवल विषयों पर आधारित होता है। यह तरीका ज्ञान को पाठ्य पुस्तकों में एक 'पुलिन्दे' की तरह प्रस्तुत करता है, जिसके साथ विषय क्षेत्रों से जुड़ी योग्यता के परीक्षण के लिए दी जाने वाली परीक्षाओं की विधि भी दी जाती है। ज्ञान के अन्य रूप जैसे शिल्प, और खेल कूद, जो कौशल, सौन्दर्यबोध, चतुराई, रचनात्कता, समूह मे काम करने की क्षमता आदि दृष्टि से वेहद समृद्ध होते हैं, परे छूट जाते है। कामकाज संबंधी ज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्र, उससे व्यवहारिक कौशल भी पूरी तरह उपेक्षित रह जाते है।विषयों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता वे बिल्कुल अपरिवर्तनीय अखंड बन जाते है। इसीलिए ज्ञान भी संकेतिक और जुड़ा हुआ लगने की बजाय खंडित लगता है। स्कूली ज्ञान और बाहरी ज्ञान के बीच एक सीमा रेखा खिंच जाती है।पहले से मौजूद ज्ञान (किताबी ज्ञान) को ज्यादा महत्व दिया जाता है जिससे बच्चे की खुद ज्ञान सृजित करने और इस प्रक्रिया के नए तरीके खोजने की क्षमता नष्ट हो जाती है। समस्या का संबंध नए विषयों को शामिल करने से है। विषय समाज में समकालीन मुद्दों को संबोधित करने के लिए नए विषय बना दिये जाते है। अगर पहले से मौजूद विषयों और चल रही गतिविधियों के द्वारा इनको पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए तो इन मुद्दों को कहीं अच्छे तरीके से संबोधित किया जा सकता है।पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए ज्ञान के चयन के सिद्धांतों से है ये सिद्धांत विकासात्मक पहलुओं के दृष्टिकोण की उपयुक्तता पर , विभिन्न कक्षाओं में जुड़ाव और तार्किक क्रमिकता एवं गति।

अतः यह कल्पना सुझाती है, कि विद्यालयीन ज्ञान में जितना ध्यान सीखने की विषय वस्तु पर दिया जाए कि शिक्षार्थी पुनः सृजित ज्ञान से कैसे जुड़ते हैं और सीखने की प्रक्रिया क्या है ? विद्यालयीन ज्ञान के ऐसी सूचना के तौर पर व्यवस्थित करना होगा जिसका बच्चों के मस्तिष्क में स्थानांतरण हो सकें। ज्ञान के इस दृष्टिकोण से सीखने वाले की परिकल्पना निष्क्रिय भाव से ग्रहण करने वाले के रूप में प्रकट होती है जबकि अवलोकन द्वारा विश्व के साथ सक्रिय जुड़ाव, संवेदना, मनन, कर्म और वॉटना ही ज्ञान है।

4.8 चिंतन के लिए प्रश्न.

प्र.१ आपके अनुसार ज्ञान चुनाव के वैधीकरण हेतु कौन सा आधार या बल अधिक उपयोगी है और क्यों ?

प्र.२ आप जिस राज्य मे निवास करते हैं उस राज्य की विद्यालयीन ज्ञान की एजेन्सीस का वर्णन कीजिये

प्र.३ आपके विद्यालीन ज्ञान से संबन्धित सभी विषय आज के समय मे कितने प्रासंगिक है? और क्यों?

प्र.४ आपके विदयलीन विषय ज्ञान चुनाव में कौन सी पाठ्यचर्या का अनुसरण किया जा रहा ?उसका वर्णन कीजिये

4.9 प्रगति की जांच हेतु उत्तर

- विद्यालयीन ज्ञान के कार्य

अ)विद्यालीन ज्ञान के कार्य जो कि व्यक्तिक विकास के लिये आवयशक है
ब) सामाजिक विकास से संबन्धित कार्य

- विद्यालयीन ज्ञान के चुनाव हेतु मानदंड

1. समग्रता 2. विभिन्नता तथा लचीलापन 3. सामुदायिक केन्द्रिता 4. अवकाश 5. सहसंबंध 6. गतिविधि 7. उपयोगिता 8. लचीलापन 9. खेल 10. संरक्षण 11. लोकतांत्रिक मूल्य 12. समानता

- विद्यालयीन विषयी ज्ञान के चुनाव हेतु देश में ऐजेंसियाँ

देश में तीन राष्ट्रीय स्तर के निकाय हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम अध्ययन तैयार कर रहे हैं ये हैं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (सी.आई.एस.ई.) तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एन.आई. ओ.एस.)। राज्य स्तर पर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एक्जामिनेशन है जो कि कक्षा 10 वीं तथा कक्षा 12 वीं. की परीक्षायें राज्यों में संचालित करते हैं।

- ज्ञान चुनाव को वैध बनाना

सामाजिक –सांस्कृतिक आधार / बलों पर
राजनैतिक–आर्थिक आधार/ बलों पर

- विद्यालयीन ज्ञान के चुनाव का समस्याकरणः परिवर्तन और सातत्य को समझने हेतु तर्क
  मैकाले मिनट्स–1835

1 विशेष रूप से अंग्रेजी उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए क्योंकि यह विचारों और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा माध्यम है।
2. प्राच्य कानून संस्थाओं एवं अरबी में सभी कानून की किताबों को बंद कर दिया जाना चाहिए। फारसी एवं संस्कृत को अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए।
3. प्राच्य सीखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का इस्तेमाल/उपयोग होना चाहिए।
4. प्राच्य संस्था को दिये गये अनुदान को रोक देना चहिए तथा इस अनुदान को नये अंग्रेजी स्कूल के उद्घाटन में उपयोग में लाया जाना चाहिए।
5. सभी दिये गये अनुदानों का उपयोग यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रसार के लिए किया जाना चाहिए।
6. शिक्षा का उद्देश्य इस तरह के व्यक्तित्व तैयार करना है जो रक्त एवं रंग में भारतीय हो लेकिन स्वाद में अंग्रेजी तथा विचारों में नैतिक तथा बौद्धिक हों।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा– 1975, 1988, 2000, 2005

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा– 1975 िशिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और विस्तार के लिए शिक्षा के अवसर समान रूप से प्रदान किये जाये तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देना तथा नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को विकसित करना। इन सिफारिशों को पहली बार दस वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम (द करीकुलम फॉर टेन ईयर स्कूल–फ्रेमवर्क) में शामिल किया गया जो कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) द्वारा सन् 1978 में विकसित किया गया।

द्वितीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा एक रूपरेखा (1988) इस रूपरेखा ने योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन के बदलाव का सुझाव दिया। ये सभी प्रयास स्कूल के सभी स्तरों में सीखने के न्यूनतम स्तर को परिभाषित करने के लिए

किये गये थे।

स्कूली शिक्षा के लिए तीसरी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा (2000) के गुणवत्ता की शिक्षा और अवसर लिए उपयोग की समानता, राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाने और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, वैश्वीकरण के प्रभाव के प्रति प्रतिक्रिया और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की चुनौती, जीवन कौशल के साथ शिक्षा को जोड़ने, पाठ्यक्रम बोझ को कम करना तथा मूल्य विकास के लिए चिंताओं को संबोधित किया गया। आजीवन प्रक्रिया के रूप में शिक्षा को देखा गया। समझ, सोच और समावेशन की प्रक्रिया के लिए बदलाव की परिकल्पना की गई।

पाठ्यचर्चा रूपरेखा के विकास मे एन.सी.एफ.–2005 एन.सी.एफ. 2005 ने निदान एवं उपचार का उपयोग करके कमजोर छात्रों और प्रतिभावान छात्रों के लिए संवर्धन कार्यक्रम द्वारा सीखने के दृष्टिकोण पर बल दिया। जो कि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है –

1. ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना।
2. पढ़ाई रटन्त प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना।
3. पाठ्यचर्चा का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों का चहुँमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाये बजाय इससे कि वह पाठ्यपुस्तक केन्द्रित बन कर रह जाये।
4. परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
5. एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताए समाहित हो।

उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धांतो पर आधारित एन.सी.एफ. 2005 में विभन्नन पाठ्यक्रम क्षेत्रों का वर्णन किया

.

संदर्भ ग्रंथ और प्रस्तावित सूची

- बेसिकस इन एडूकेभान राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) ,नई दिल्ली २०१४
- एनसीफ 2005, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी)
- कुमार कृश्ण, 2004 वॉट इज वर्थ टीचिंग ओरियेंट ब्लैक स्वॉन ।
- डेंग, झेड. 2003, स्कूल सब्जेक्ट एन्ड एकेडेमिक डिसिप्लीन, रूट लेज